न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 31/2018

1 केशरदेव पुत्र मालाराम।
2 परमेश्वरी पत्नी बनवारी समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम डूडियों की ढ़ाणी तन देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 प्रताप सिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम डूडियों की ढ़ाणी तन देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट बखिलाफ
आदेश उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ प्रार्थना पत्र
नम्बर 03/2016 उनवानी प्रताप सिंह बनाम
केशर देव अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक 21.03.2018

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 06.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 166 से 185 में पाईप लाईन ले जाने के लिये अनावेदक के खेत खसरा नम्बर 165 व 186 के अन्दर से भूमिगत पाईप लाईन डालने का आदेश देने हेतु निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा आवेदन धारा 251ए के नियम 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत नही किया गया है। सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित नही किया गया है। विधि अनुसार धारा 251ए मे उपखण्ड अधिकारी को 90 दिवस में निर्णय करना होता है। इससे अधिक अवधि होने पर उपखण्ड अधिकारी को निर्णय का क्षेत्राधिकार नही रहता है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 166 की किस्म बारानी प्रथम है जबकि आवेदन में चाही अंकित किया गया है। सभी सहकाश्तकारों को पक्षकार नही बनाया गया है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 649, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 342 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में यह प्रावधान नही है कि 90 दिवस में प्रकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनू)

निर्णित नही करने पर उपखण्ड अधिकारी को क्षेत्राधिकार नही रहेगा। मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2016 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिया गया रास्ता निकटतम है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से दो फिट की चौड़ाई में एवं तीन फिट की गहराई में पाईप लाईन बिछाने के आदेश दिये है। इस आदेश से अपीलांट को कोई क्षति नही हो रही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में यह प्रावधान नही है कि 90 दिवस में प्रकरण निर्णित नही करने पर उपखण्ड अधिकारी को क्षेत्राधिकार नही रहेगा। मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2016 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिया गया रास्ता निकटतम है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से दो फिट की चौड़ाई में एवं तीन फिट की गहराई में पाईप लाईन बिछाने के आदेश दिये है। इस आदेश से अपीलांट को कोई क्षति नही हो रही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर